498

समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल म0प्र0

प्रकरण क्र.निगरानी– /पीबीआर/17 रायसेन

5/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/1022

नवीन प्रकरण - 1022/2018

शहजाद खॉ आ0 इस्माईल खॉ
निवासी ग्राम मलनिया तहसील
लटेरी जिला विदिशा म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1. अमीन अहमद आ0 अकबर अहमद
2. अब्दुल गफफार खॉ आ0 मुद्दु खॉ
निवासीगण ग्राम मलनिया तहसील
लटेरी जिला विदिशा म0प्र0 .....अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान तहसीलदार लटेरी जिला विदिशा द्वारा उनके **प्रकरण** क0 01/अ–70/16–17 में पारित आदेश दिनांक 22/12/17 से असन्तुष्ट एवं दु:खी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क0 2 द्वारा सी0एम0 हेल्प लाईन में शिकायत प्रस्तुत कि गयी कि ग्रांम भुगाईकला स्थित भूमि खसरा क0 131 एवं 132 की भूमि पर अ0 रजक, अ0 कलम आ0 अ0 रहमान राजे खॉ के द्वारा 5 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है । अनावेदक क0 2 द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज किये विना तथा हितबद्व पक्षो को सूचना दिये विना ही सीमांकन कि कार्यवाही कर अधिनस्थ तहसील न्यायालय को सीमांकन की कार्यवाही से अवगत कराया गया । तहसील न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 16/02/17 में उल्लेख किया गया कि शिकायत का निराकरण सीमांकन उपरान्त हो चुका है । दोनो पक्ष सहमत है प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो । राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये कथित सीमांकन के आधार पर अनावेदकगण द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष धारा 250 के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया । प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष विभिन्न आपत्तिया उठाते हुए अधिनियम कि धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । परन्तु अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार विचार किये विना ही आवेदन को विना उचित कारण दर्शाये निरस्त करने के आदेश दिये ।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

:: निगरानी के आधार ::

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं प्रक्रिया के विपरीत होने

XXIX(a)-BR(H)-11

498

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1022

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	